

प्रेस नोट
थाना समथर, झाँसी

दिनांक 03.08.2025

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 02.08.2025 को थाना समथर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान 1.केस नं0 501/14 धारा 379/504/506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी राहुल उर्फ कल्लू पुत्र सियाराम पाल निवासी ग्राम मगरौरा थाना समथर जिला झाँसी उम्र करीब 32 वर्ष 2. केस नं0 1053/13 अ.सं. 75/13 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी देवेन्द्र उर्फ बल्लू पुत्र जानकी शरण राजपूत निवासी बडा बेलमा थाना समथर जिला झाँसी उम्र करीब 50 वर्ष 3. केस नं0 705/19 अ.सं. 51/19 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी कैलाश पुत्र रामदीन निवासी ग्राम बडोखरी थाना समथर जिला झाँसी उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समझ पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

- 1.राहुल उर्फ कल्लू पुत्र सियाराम पाल निवासी ग्राम मगरौरा थाना समथर जिला झाँसी ।
- 2.देवेन्द्र उर्फ बल्लू पुत्र जानकी शरण राजपूत निवासी बडा बेलमा थाना समथर जिला झाँसी ।
- 3.कैलाश पुत्र रामदीन निवासी ग्राम बडोखरी थाना समथर जिला झाँसी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थानाध्यक्ष समथर मय पुलिस टीम ।